



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274915
CG-DL-E-29072026-274915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3943]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 3943]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4113(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **2365(E) तारीख 08/05/2026**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में इनर रिंग रोड के कि.मी. 0 से कि.मी.65.066 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 13/05/2026 को "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया (अंग्रेज़ी)", 13/05/2026 को "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में इनर रिंग रोड के कि.मी. 0 से कि.मी.65.066 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: इलाहाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: फूलपुर					
गांव का नाम: नबाबा उर्फ नीबीकला उपरहार					
1	396	निजी (निजी)	कृषि	0.046	अमृता देवी पत्नी स्व० बनवारी लाल लालजी यादव पुत्र बनवारी लाल बब्बु पुत्र शारदा यादव जय प्रकाश पटेल पुत्र महिपाल पटेल चम्पा देवी पत्नी स्व० केवला प्रसाद रमाकांत यादव पुत्र स्व० केवला प्रसाद रवि शंकर पुत्र स्व० केवला प्रसाद अजय कुमार सिंह पुत्र ज्ञान दत्त सिंह मार्तण्ड सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह रामलखन यादव पुत्र पुत्रीलाल यादव श्रीमती रानी पत्नी राम बाबु यादव रवि यादव पुत्र गणेश यादव इन्द्र पाल यादव पुत्र स्व० वंशी लाल धिनहू लाल पुत्र स्व० वंशी लाल रण विजय यादव पुत्र स्व० वंशी लाल ननई पुत्र स्व० वंशी लाल अछैबर लाल यादव पुत्र स्व० वंशी

					लाल सुनील कुमार यादव पुत्र स्व० साधू लाल परषोत्तम लाल पुत्र स्व० महादेव 396
कुल योग				0.046	

[फा. सं. 11015/NHAI/PIU/ALD/LA1/RingRoad/2019/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2026

S.O. 4113(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2365(E) Dated:08/05/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Inner Ring Road in the stretch of land from Km. 0 to Km. 65.066 in the district of PRAYAGRAJ in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” dated 13/05/2026, “Amar Ujala ” dated 13/05/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Inner Ring Road in the stretch of land from Km. 0 to Km. 65.066 in the district of PRAYAGRAJ in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: ALLAHABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Phulpur					
Village: Nababa Urf Nibikala Uparhar					
1	396	Private	Agriculture	0.046	Amrita Devi w/o Late. Banwari Lal Lalji Yadav s/o Banwari Lal Babbu s/o Sharada

					Yadav Jay Prakash Patel s/o Mahipal Patel Champa Devi w/o Late. Kevala Prasad Ramakant Yadav s/o Late. Kevala Prasad Ravi Shankar s/o Late. Kevala Prasad Ajay Kumar Singh s/o Gyan Dutt Singh Martand Singh s/o Suryabhan Singh Ramlakhan Yadav s/o Punnilal Yadav Shrimati Rani w/o Ram Babu Yadav Ravi Yadav s/o Ganesh Yadav Indra Pal Yadav s/o Late. Vanshi Lal Ghinhu Lal s/o Late. Vanshi Lal Ran Vijay Yadav s/o Late. Vanshi Lal Nanai s/o Late. Vanshi Lal Achhaibar Lal Yadav s/o Late. Vanshi Lal Sunil Kumar Yadav s/o Late. Sadhu Lal Parasottam Lal s/o Mahadev 396
Total				0.046	

[F. No. 11015/NHAI/PIU/ALD/LA1/RingRoad/2019/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director